न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

प्रितमदास नाथानी पिता मेठाराम जी, निवासी उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पिता अमराव चन्द जी मेहता, ठिकाना परफेक्ट ग्रेड मिल्स, उदयपुर (राज.)
2. विश्वम्भर प्रसाद पिता भवगतीलाल जी माथुर, निवासी लाला साहब हवेली, गनगौर घाट, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गुलाब बाई पत्नी बाबूलाल जी लुहार, निवासी मजावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती प्रफुल्ला पत्नी राजेन्द्र कुमार जी सिंगटवाडिया, ठिकाना कानोड़ की हवेली, उदयपुर (राज.)
5. श्यामलाल पिता सामचन्द्र जी नरोला, गोंगा गेट के बाहर, गूजरों की कब्रिस्तान के पास, बीकानेर (राज.)
6. दीपचन्द पिता जेतराम जी धाबाई हवेली, कुमावतपुरा झीणीरेत, सूरजपोल के अन्दर, उदयपुर (राज.)
7. अनिरूद्ध पिता उमेश कुमार जी गुप्ता, निवासी फूटा दरवाजा, उदयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
23.03.2006 प्रकरण सं0 280 / 02

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री राजमल राव अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक रे॰ सं॰ 2
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 05–07–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरू॰ एक वाद अन्तर्गत धारा 53

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने मौजा मनवा खेड़ा स्थित आराजी नंबर 334 रकबा 0.2000 हैक्टर बिल एवज 20,000/– रूपये में श्री जेतराम पिता पृथ्वीराज धाबाई से 1984 में क्रय की एवं विधिवत कब्जा प्राप्त किया, तब से बतौर मालिक काबिज चले आ रहे हैं। वादी अपना 1/8 भाग प्राप्त करना चाहता है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ ले रहे हैं, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नंबर 334 रकबा 0.2000 हैक्टर का भागीदारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी को उसके 1/8 हिस्से का वास्तविक कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा एकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–11–2002 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–03–2006 से विवादित भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होने से तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–07–2008 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुने बगैर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने नकल हेतु कई प्रार्थना पत्र दिये किन्तु उसे नकल नहीं दी गयी, आखिर में दिनांक 08–12–2007 को नकल मिली, किन्तु अपीलान्ट बीमार होने से व उसकी पत्नी का देहान्त हो जाने से अपील समय पर पेश नहीं कर सका। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट द्वारा 23–03–2[illegible] अपील दिनांक 28–07–2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

को प्रस्तुत की है, जबकि अपील 22–05–2006 तक समयावधि में प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी। अपील करीब 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो आधार अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किये वह न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी देरी का कोई पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री सुखराम डिडेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रारम्भिक डिक्री अवैध है, क्योंकि नगर विकास प्रन्यास को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि प्रारम्भिक डिक्री उनके स्वयं द्वारा जारी की गयी है इसलिए उसी अदालत को डिक्री की वैधता में किसी प्रकार की खामी निकालने का अधिकार नहीं है। दावा पेश करने के दिन नगर विकास प्रन्यास अस्तित्व में ही नहीं थी एवं रेकार्ड के आधार पर तहसीलदार गिर्वा ही पक्षकार बन सकती थी, जिसे पक्षकार बनाया गया है। प्रारम्भिक डिक्री को फाईनल करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया था, किन्तु तहसीलदार गिर्वा ने इस मुकदमे को बिना वजह लम्बा किया एवं बाद में वाद अदम हाजरी व डिक्री की वैधता के कारण खारिज कर दिया। दिनांक 23–03–2006 को प्रकरण अदम हाजरी व डिक्री की वैधता के कारण खारिज किया गया, किन्तु न्यायालय ने इसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी। यदि डिक्री में कोई गलती थी तो उसे खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने वक्त बहस बताया कि अपील 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से पेश की है इसलिए अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने बावजूद उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी एवं दिनांक 28–02–2006 को वादी/अपीलान्ट की उपस्थिति में आगामी पेशी दिनांक 23–03–2006 नियत की गयी थी, किन्तु उक्त दिनांक को अपीलान्ट अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में विवादित आराजी नंबर 334 रकबा 0.2000 हैक्टर नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय से नगर विकास प्रन्यास को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर एवं अपीलान्ट के बावजूद सूचना अनुपस्थिति रहने से अपीलान्ट का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट का यह कथन कि दिनांक 23–03–2006 की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गयी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28–02–2006 अनुसार वादी/अपीलान्ट की उपस्थिति में दिनांक 23–03–2006 की पेशी नियत की गयी है, फिर भी अपीलान्ट/वादी अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–03–2006 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

प्रितमदास नाथानी पिता मेठाराम निवासी उदयपुर। बनाम **राजेन्द्र कुमार पिता अमरावचन्द मेहता मेहता, ठिकाना परफेक्ट ग्रेड मिल्स, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**56 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....23**.....माह.....**03**.....**2006**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**....माह.....**07**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राजमल राव**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुखराम डिडेल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–03–2006 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**07**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested